मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु दिशा–निर्देश

पृष्ठभूमिः

राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना 1961–62 में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई थी। यह कक्षा गप से स्नातकोत्तर स्तर के मेधावी लेकिन गरीब छात्रों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से मेधावी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर भी छात्रवृत्ति की एक योजना शिक्षा विभाग द्वारा 1971–72 में शुरू की गई। यह ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा अप से कक्षा गपप के मेधावी लेकिन गरीब छात्रों के लिए थी। इन दोनों योजनाओं को मिला दिया गया और 'राष्ट्रीय योजना छात्रवृत्ति योजना' नामक एकल योजना शिक्षा विभाग द्वारा 2005–06 से कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई। यह कक्षा पग से स्नातकोत्तर स्तर के मेधावी छात्रों के लिए उपलब्ध है। तथापि, योजना आयोग द्वारा वर्ष 2007–08 के लिए राशि प्रदान नहीं की गई इसलिए यह योजना 1.4.2007 से समाप्त कर दी गई। स्कूल शिक्षा वर्ष 2007–08 से एक नए विभाग अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आ गई है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ''राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना'' नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में कक्षा पग से गपप के छात्र सम्मिलित किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने कालेज/विश्वविद्यालय जाने वाले निम्न आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसे गप वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए 1000 करोड़ रू0 का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। यह केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसका नाम ''कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना'' है।

2. उद्देश्य :

निम्न आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे उच्चतर अध्ययन करते समय अपने दिन–प्रतिदिन के खर्चों को वहन कर सकें।

3. क्षेत्रः

ये छात्रवृत्तियां माध्यमिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रदान की जाएगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन करने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे मेडिकल, इंजीनियरी इत्यादि के लिए 82000 नई छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष (लड़कों के लिए 41000 और लड़कियों के लिए 41000) प्रदान की जाएगी।

4. **छात्रवृत्तियों का आबंटनः**

छात्रवृत्तियों की कुल संख्या देश के विभिन्न बोर्डों से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आई सी एस ई के अलग–अलग भाग निर्धारित करने के पश्चात् 18–25 वर्ष की आयु समूह के राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्य बोर्डों में बांटी जाएगी। 50ः छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित की जाएंगी। राज्य बोर्ड को आबंटित छात्रवृत्तियों की संख्या 3ः2ः1 अनुपात में राज्य बोर्ड के विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों के उत्तीर्ण छात्रों में बांटी जाएगी।

5. **पात्रताः**

ऐसे छात्र इस योजना के तहत विचार करने के पात्र होंगे जिन्होंने 10़2 पैटर्न की कक्षा गपप या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 80ः अंक प्राप्त किए हैं और जो दिनांक 8.11.93 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 36012/22/93–स्थापना (एससीटी) (संलग्नक पअ) द्वारा परिभाषित और दिनांक 9 मार्च, 2004 के उनके का. ज्ञा. सं. 36033/3/2004 –स्थापना (आर ई एस) के माध्यम से यथासंशोधित और जैसा समय–समय पर आगे संशोधित किया जाए, के अनुसार क्रीमी लेयर में ना ही आते हैं, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से नियमित पाठ्यक्रम (पत्राचार या दूरस्थ प्रणाली से नहीं) कर रहे हैं और कोई अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। यह सामान्य और आरक्षित दोनों ही सभी श्रेणियों के छात्रों पर लागू है।

5.1 **आरक्षणः**

आरक्षित श्रेणी/कमजोर वर्गों/ अल्पसंख्यकों के छात्र योग्यता आधार पर पात्र होंगे जो केन्द्रीय आरक्षण नीति और आन्तरिक निर्धारण के शर्ताधीन है। यह छात्रवृत्ति 'गैर क्रीमी लेयर' के छात्रों के लिए उपलब्ध होगी। इस विषय पर अद्यतन दिशा–निर्देशों के अनुसार 'गैर क्रीमी लेयर' के लिए आय की अधिकतम सीमा 4.5 लाख रु. प्रति वर्ष है। इस समय विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण इस प्रकार हैः अनुसूचित जाति 15ः, अ.ज.जा. 7) प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग 27ः और सभी श्रेणियों में शारीरिक विकलांगों को मिलाकर उनके लिए 3ः ।

6. **चयन प्रक्रिया**

परीक्षक निकाय सभी छात्रों के लिए बोर्डों/ विश्वविद्यालयों/ प्राधिकरण द्वारा घोषित परीक्षाओं के परिणामों के पश्चात् पांच सप्ताह के अंदर छात्रवृत्ति हेतु पात्र अध्येताओं की एक योग्यता सूची (संलग्नक–।) तैयार करेंगे। सूची तैयार करने से पहले छात्रों के अभिभावकों की आय को ध्यान में रखा जाएगा।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र के बोर्ड/विश्वविद्यालय योग्यता सूची के ऊपर के पात्र छात्रों को उपलब्ध छात्रवृत्तियों की दुगुनी संख्या तक एक पंजीकृत पत्र के माध्यम से पत्र लिखेंगे कि वह 15 दिनों के अंदर सुनिश्चत करें कि क्या वह इस छात्रवृत्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार है।

ऐसे उम्मीदवारों जिनसे राज्य बोर्ड/के.मा.शि. बोर्ड/ आई सी एस ई से छात्रवृत्ति को प्राप्त करने की स्वीकृति का उत्तर 30 दिनों के अंदर प्राप्त नहीं होता है, उनके लिए छात्रवृत्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा और योग्यता सूची में अगले पात्र उम्मीदवारों को यह प्रदान की जाएगी।

छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विचार करने हेतु छांटे गए प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य/संघ शासित क्षेत्र के बोर्ड/विश्वविद्यालय निम्नलिखित फार्म भेजेंगेः–

(क) पात्रता कार्ड

(ख) आय प्रामणीकरण फार्म

(ग) 'ब्यौरों का विवरण' हेतु फार्म

छांटे गए अध्येता पात्रता कार्ड (संलग्नक–।।), आय प्रमाणीकरण फार्म (संलग्नक ।।।) और ब्यौरों का विवरण (संलग्नक–पअ) को विधिवत रूप से भरकर अपनी संस्था के अध्यम को भेजेंगे। संस्था का अध्यम पात्रता कार्ड को पूरा करेगा और संबंधित राज्य बोर्ड, के.मा. शि. बो., आईसीएसई, जैसा भी मामला हो, भेजेगा।

पूरा भरा हुआ ''ब्यौरा का विवरण'' और ''आय प्रमाणपत्र'' सहित 'दाखिला रिपोर्ट' प्राप्त होने पर समबद्ध बोर्ड योग्यता पात्रता मानदंड और केन्द्र सरकार के आरक्षण दिशानिर्देशों के आधार पर उस बोर्ड की छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं की सूची संकलित करेगा और उसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग, मा.सं. वि. मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग को भेजेगा जो निर्धारित बैंक के माध्यम से अध्येता की छात्रवृत्ति के भुगतान की व्यवस्था करेगा। छात्र का नाम, पत्राचार के लिए पता और बैंक लेखे का ब्यौरा जिस पर छात्रवृत्ति दी जानी है, सूची के साथ बोर्ड द्वारा भेजे जाएं

यदि संबंधित बोर्ड को संस्था में दाखिला लेने की अन्तिम तारीख से 30 दिनों के अंदर संस्था के अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उम्मीदवार से दाखिला रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है जो उसे छात्रवृत्ति देने के मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। तब छात्रवृत्ति योग्यता सूची में अगले पात्र उम्मीदवार को दे दी जाएगी।

7. **छात्रवृत्तियों की दर**

कालेज या विश्वविद्यालय के पहले तीन वर्षों के लिए स्नातक स्तर पर 1000/– प्रति माह की दर से और स्नातकोत्तर रस्तर पर 2000/– प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रह छात्रों को चौथे और पांचवे वर्ष में 2000/– रू. प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति शैक्षिक वर्ष में 10 माह के लिए दी जाएगी।

8. **अभिभावकों की अधिकतम आय**

छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों को दी जाएगी जो दिनांक 8.11.93 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 36012/22/93–स्थापना (एस सी टी) द्वारा परिभाषित तथा उनके कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004/ स्थापना (आईईएस) के माध्यम यथासंशोधित और समय–समय पर आगे इसे जैसा इसे संशोधित किया जाए, के अनुसार गैर क्रीमी लेयर के हैं और अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नही कर रहे हैं। इस समय अधिकतम आय सीमा 4.5 लाख रू. प्रति वर्ष है। हर वर्ष एक नया आय प्रमाणपत्र नहीं मांगा जाएगा बशर्ते अध्येता इस पुनः प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित सभी अन्य शर्तें पूरी करता हो।

9. **छात्रवृत्ति की अवधि और इसे पुनःप्रारम्भ करना**

इस योजना के तहत छात्रवृत्ति उसी तरह से स्नातकोत्तर स्तर तक वर्ष दर वर्ष आधार पर पुनः प्रारम्भ की जातें है। सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति उस पाठ्यक्रम के स्नातक स्तर तक पुनः प्रारम्भ की जाएगी। सभी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां पांच वर्षों की अधिकतम अवधि तक पुनः प्रारम्भ की जाएगी। छात्रवृत्ति का पुनः प्रारम्भ अगली कक्षा में उतीर्ण होकर जाने पर निर्भर करेगा बशर्ते कि अध्येता ने दो अगले सेमेस्टरों या वार्षिक परीक्षा में औसत रूप से 60ः या इससे अधिक अंक या समकक्ष औसत ग्रेड पॉइन्ट प्राप्त किए हो जो कि उसकी अगली कक्षा में उन्नति को निर्धारित करता है। यह छात्रवृत्ति अध्येता के अनुशासन और उसकी कक्षा में कम से कम 75ः की उपस्थिति पर भी निर्भर करेगी। अध्येता के खिलाफ रैंगिग में शामिल होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होने सहित अनुशासन में न रहने से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उसकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी।

यदि कोई विद्यार्थी बीमारी के कारण और अथवा किसी अप्रत्यशित घटना के कारण वार्षिक परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ हो जाता हे तो संस्था के अध्यक्ष को संतुष्ट करने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र और अन्य साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर पुरस्कार का अगले अकादमिक वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है तथा संस्था का अध्यक्ष यह सत्यापित करेगा की यदि उक्त विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होता तो वह 60 प्रतिशत अंको अथवा समतुल्य औसत ग्रेड अंको से उत्तीर्ण होता।

यदि कोई विद्यार्थी अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने से पहले ही छोड देता है अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन के बिना अध्ययन पाठ्क्रम परिवर्तित करता है तो छात्रवृति रदद् कर दी जाएगी। छात्रवृति को जारी रखने के लिए भी बेहतर आचरण और नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार के सभी मामलों के सम्बंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एक बार रदद् की गई छात्रवृति को किसी भी परिस्थिति में पुनः सही नही माना जाएगा।

10. छात्रवृति का भुगतान

चुने गए विद्यार्थियों को छात्रवृति का भुगतान केन्द्र सरकार उनके द्वारा खोले गए बैक खाते के माध्यम से करेगी।
छात्रवृति का भुगतान दाखिला लेने के माह से शुरू किया जाएगा। किसी अकादमिक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए छात्रवृति का भुगतान किया जाएगा।

संलग्नक–I

कालेज और विश्वविद्यालयों को छात्रवृति स्कीम के तहत छात्रवृति प्रदान करने के लिए वर्ष 20..... में आयोजित की गई वरिष्ठ माध्यमिक/जमा दो परीक्षा में औसतन 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची

विश्वविद्यालय/बोर्डका नाम...औसत अंक

1. क्रम संख्या
2. अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी और हिन्दी देवनागरी लिपि में
3. प्रतिशत अंक
4. परीक्षा में स्थान
5. उस राज्य/संध राज्य क्षेत्र का नाम जिससे अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है।
6. अभ्यर्थी का आवासीय पता
7. विवाहित बेरोजगार बालिका विद्यार्थी के मामले में माता–पिता/संरक्षक/पति की आय
8. जारी किए गए पात्रता कार्ड की क्रम संख्या

बोर्ड के सचिव/विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा
(हस्ताक्षर करके मुहर लगाई जाए)

पात्रता कार्ड **संलंग्नक–II**

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालस
उच्चतर शिक्षा विभाग

कालेज और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति स्कीम

परीक्षा का नाम...

परीक्षा आयोजित करने का माह ओर वर्ष.................................

योग्यता सूची में कम संख्या...

1. इस कार्डधारी श्री/श्रीमति/कुमारी...

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री...को इस बोर्ड/ विश्वविद्यालय की उपर्युक्त उल्लिखित माह और वर्ष में आयोजित की गई परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारत सरकार की कालेज और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए स्कीम के तहत पुरस्कार के लिए अनंतिम रूप से चुना गया हो उन्होने कुल.................... ....अंको में
से ....अंक प्राप्त किए है ओर योग्यता सूची में ....स्थान प्राप्त किया है।

हस्ताक्षर

वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
के सचिव/विश्वविद्यालय के
रजिस्ट्रार की मुहर

संलग्नक–III

आय शपथपत्र

कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्यों हेतु अभिभावक/संरक्षक की वर्ष (31 मार्च, --------- को समाप्त होने वाले) (संबंधित वर्ष लिखें) की आय की घोषणा

1. पुत्र/पुत्री -- श्री/श्रीमती -- वर्तमान पता -- सत्यनिष्ठापूर्वक अभिपुष्टि करता हूँ/करती हूँ और कहता हूँ/कहती हूँः–

1. कि मेरा पुत्र/पुत्री/आश्रित श्री/कुमारी ----------------- अनंतिम रूप से जिनका चयन ''केन्द्रीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना'' के लिए हुआ है, ----------------------- अध्ययनरत है।

   (यहाँ संस्थान का नाम दें)

2. चालू वर्ष जो 31 मार्च, ----------- को खत्म हो रहा है, में मेरी आय ----------- रूपये है जैसा कि निम्न अनुसूची में ब्यौरा दिया गया है, मैं यह पुष्टि करता हूँ कि मेरी संपत्ति के विषय में बताया गया विवरण अनुसूची के अनुसार है और यह मैंने विभिन्न करों/---- और भू राजस्वों में मेरे द्वारा चुकाई गई सही राशि दर्शाई गई है। मेरे द्वारा दिए गए तथ्यों और आँकड़ों के लिए मैं स्वयं को व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी हूँ।

3. मेरी जानकारी के अनुसार आगे के पैराग्राफ में दिए गए कथन सही हैं।

4. मैं यह शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई पुष्टि यदि किसी भाग में गलत पाई जाती है, मैं छात्र की छात्रवृत्ति की राशि से दुगुनी राशि राष्ट्रपति को पुनः अदा करूँगा/अदा करूँगी और किसी भी तथ्य के गलत पाए जाने पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा और मुझ पर बाध्यकारी होगा।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जायें वह अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा मुहर भी लगायेंगे।

अनुसूची

I आय व भूमि की सीमा

	(क) स्वतंत्र रूप से स्वामी	(ख) संयुक्त रूप से स्वामी	(ग) स्वतंत्र रूप से किराएदार
(i) क्षेत्र			
(ii) गाँव			
(iii) सर्वे संख्या			
(iv) वार्षिक आय	रू.	रू.	रू.

II संपत्ति तथा आय (मकान, दुकान, भवन, गृह स्थल आदि)

(क) मकान संख्या ------------------------------------
(ख) गली/सड़क ------------------------------------
(ग) गाँव/कस्बा/शहर ---------------------------------
(घ) स्थल का क्षेत्र ------------------------------------
(ड.) किराया यदि कोई लिया जा रहा है -------------------
(च) गृह कर रूपये ------------------------------------
(क) स्वच्छता कर अथवा अन्य
रूपये ------------------
(ख) कुल वार्षिक आय
रूपये ------------------

क्या भूमि का सारा अथवा आंशिक हिस्सा किराएदारों को दिया गया है। यदि 'हाँ' तो कृपया विवरण दें।

III दुकानों से आयः

(i) दुकान का पता

(ii) व्यवसाय की प्रकृति --------------------------------
(iii) दिया गया बिक्रीकर, आयकर रूपये -------------------
(iv) लाइसेंस संख्या ------------------------------------
(v) वार्षिक आय --------------------------------- रूपये

IV स्वयं/पति अथवा पत्नी का वेतन

(i) नियोक्ता का नाम ---------------------------------
(ii) कार्यालय/एकक जिसमें कार्य कर रहे हैं तथा पदनाम

(iii) कार्यालय का पता ----------------------------------

(iv)

(क) आयकर की कटौती के बिना --------- वर्ष के लिए वार्षिक मूल वेतन --------------- रूपये (नियोक्ता/आयकर प्राधिकरण/राजस्व प्राधिकरण का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए)

(ख) प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा मानदेय जिसमें एनसीसी मानदेय भी शामिल है -------------------------

(ग) (क), (ख) और (ग) का कुल -------------------

(घ) भविष्य निधि के अंशदान की राशि रूपये --------

(ड.) एलआईसी/सीटीडी के लिए किया गया भुगतान रूपये --------

(ड.) तथा (च) का कुल रूपये --------

V सरकारी कर्मचारी के मामले में, सरकारी अनुदेशों के अनुसार उन कर्मचारियों जो 'क्रीमीलेयर' में नहीं आते, प्रमाणपत्र संलग्न करें।

VI मकान किराया भत्ता, निःशुल्क मकान तथा अन्य आवश्यकताएं -----------------------------

VII आय का अन्य स्रोतः

(i) सहायक उद्योगों अंशकालिक व्यवसाय से आय रूपये ---------------------------

(ii) वेतन के रूप में प्राप्त राशि रूपये ---------------------------

(iii) अन्य कोई आय रूपये ---------------------------

VIII पति/पत्नी की वार्षिक आय तथा अन्य किसी स्रोत से छात्र की आय रूपये -----------------------------

(क)	आयकर की कटौती किए बिना------- (वर्ष) के लिए वार्षिक मूल वेतन -- (कर्मचारी/आयकर प्राधिकरण/राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाण–पत्र संलग्न किया जा सकता है)	रू.
(ख)	विशेष वेतन/बोनस --	रू.
(ग)	प्रतिनियुक्ति भत्ता और एनसीसी मानदेय सहित मानदेय --	रू.
(घ)	(क), (ख) और (ग) का कुल जोड़ --	रू.
(ड.)	प्रोविडेंट फंड में अंशदान की राशि --	रू.
(च)	एलआईसी/सीटीडी में किया गया भुगतान --	रू.
(छ)	(ड.) तथा (च) का जोड़ --	रू.

अध्येता के माता–पिता/
संरक्षक के हस्ताक्षर

कृपया ध्यान दें

(1) परिवार की कुल आय में केवल अध्येता के पिता तथा माता की ही आय शामिल की जानी चाहिए तथा अन्य किसी सदस्य की नहीं चाहे वे कमा रहे हों।

(2) यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो अध्येता के नाम से शेयरों, प्रोपर्टी इत्यादि के नाम से यदि कोई आय है, तो उसके साथ माता की आय को भी दर्शाया जाएगा।

(3) यदि अध्येता के पिता तथा माता दोनों की आय समाप्त हो चुकी है, तो यदि अध्येता के नाम से कोई आय है तो केवल उसे ही दर्शाया जाएगा तथा उस संरक्षक की आय को शामिल नहीं किया जाएगा जो अध्येता की सहायता कर रहे हैं।

(4) साधन परीक्षण के उद्देश्यार्थ आय को निम्न तरह से परिभाषित किया गया हैः–

(क) आय प्राप्त समूह के मामले में मूल वेतन के साथ अन्य संसाधनों से प्राप्त आय को शामिल किया जाएगा तथा उसमें मंहगाई भत्ता, शहर क्षतिपूर्ति भत्ता इत्यादि भत्तों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(ख) आय कर देय संसाधनों से प्राप्त आय के मामले में, आयकर मूल्यांकन के उद्देश्यार्थ आय की गणना (छूट प्रदान करने योग्य मदों की कमी करने के बाद) वर्ष के लिए आयकर नियमों के अनुसार की जाएगी।

(ग) ऐसी आय जिस पर आयकर देय नहीं है, जैसे कृषि इत्यादि से प्राप्त आय, उस पर शुद्ध आय की गणना उस आय को कमाने के लिए किए गए खर्चे को घटाने के बाद की जाती है।

संलग्नक–IV

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति स्कीम

ब्यौरे का विवरण

टिप्पणीः

1. ब्यौरे का विवरण, आय का शपथ–पत्र तथा पूर्ण रूप से भरी हुई कार्यग्रहण रिपोर्ट उस संस्था के मुखिया को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जहां पर विद्यार्थी के अवर स्नातक पाठ्यक्रम को शुरू किया है। संस्था का मुखिया इस सचिव, वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड/विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को कार्यग्रहण रिपोर्ट तथा फोटो का सत्यापन करने के बाद अग्रेषित करेगा।

2. फार्म को भरने से पहले प्रत्येक मद को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाना चाहिए। इसे प्रस्तुत किए जाने के बाद इसमें किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई प्रविष्टि गलत पाई जाती है तो छात्रवृत्ति, यदि प्रदान की गई है, तो उसे आगे से निरस्त किया जा सकता है।

फोटो

3. अपूर्ण विवरण तथा निर्धारित दिनांक के बाद प्राप्त विवरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. विद्यार्थी यह सुनिश्चित करे कि पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म संस्था के मुखिया द्वारा समय पर अग्रेषित किया जाए।

1.	अभ्यर्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) (कक्षा XII प्रमाण–पत्र के अनुसार)		
2.	जन्म तिथि (दिन/महीना/वर्ष) (कक्षा X के प्रमाण–पत्र के अनुसार)		
3.	लिंगः पुरूष/महिला		
4.	श्रेणीः अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्यः (कृपया प्रमाण–पत्र संलग्न करें) शारीरिक विकलांक (कृपया प्रमाण संलग्न करें)		
5.	पिता/संरक्षक/पति जैसा भी मामला हो, का विवरण		
	क	नाम	

	ख	घर का स्थायी पता	 पिनः
	ग	व्यवसाय/पदनाम पते सहित	
6.	संचार का विवरण		
	क	पत्राचार का पता	 पिनः
	ख	दूरभाष एसटीडी कोड सहित	
	ग	मोबाइल संख्या	
	घ	ई–मेल आईडी	
7.	क्या पिता/संरक्षक भारत का नागरिक है		हाँ/नहीं
8.	दोनों माता–पिता/संरक्षक या विवाहित बेरोजगार छात्रा विद्यार्थी के संबंध में पति की कुल वार्षिक आय। प्रमाण के तौर पर संलग्नक–।।। के अनुसार आय शपथ–पत्र।		रूपये
9.	पिछली संस्था/स्कूल का विवरण कक्षा XII		
	क	स्कूल/संस्था का नाम	
	ख	दाखिले का दिनांक (दिन/महीना/वर्ष)	
	ग	छोड़ने का दिनांक (दिन/महीना/वर्ष)	
	घ	टिप्पणी, यदि कोई हो तो (यदि यह स्थान पर्याप्त नहीं है तो अलग शीट को संलग्न किया जा सकता है)	
10.	अभ्यर्थी द्वारा पास की गई कक्षा XII परीक्षा का विवरणः		
	क	पास की गई परीक्षा का नाम	
	ख	रोल नंबर	
	ग	उत्तीर्ण करने का वर्ष	
	घ	अभ्यर्थी द्वारा पास की गई परीक्षा को आयोजित करने वाले बोर्ड का नाम इसके मुख्यालयों सहित	

	ड.	परीक्षा में कुल प्राप्तांक (प्रथम पाँच विषयों में)	
	च	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत	
11.	क्या विद्यार्थी राज्य सरकार या अन्य संस्थान या व्यक्ति से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है		हाँ/नहीं
	यदि हाँ, तो मासिक दर अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त किए जाने की दिनांक सहित अन्य विवरण दिए जाए		
12.	अभ्यर्थी के बचत बैंक खाते का विवरण		
	क	खाता संख्या	
	ख	बैंक का नाम तथा पता	
	ग	बैंक कोड संख्या	
	घ	आरटीजीएसःएनईएफटीःआईएफएससी कोड (बैंक का 11 डिजिट कोड)	
13.	इस विवरण के साथ भेजे जाने वाले संलग्नकों की सूची (बिना संलग्नकों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा)		
	क	आय शपथ पत्र (संलग्नक–।।।)	
	ख	सीबीएसई के सीनियर स्कूल प्रमाण–पत्र परीक्षा की मार्क–शीट की सत्यापित प्रति	
	ग	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
	घ	कार्यग्रहण रिपोर्ट (संलग्नक–V)	

14.	प्रमाणित किया जाता है कि इस फार्म में मेरे द्वारा दिया गया ब्यौरा सही है। मैं यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि यदि छात्रवृति के लिए मेरा चयन होता है तो मैं अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा समय दूंगा/दूंगी। और मैं किसी अन्य स्त्रोत से कोई वज़ीफा/छात्रवृति प्राप्त नही करुंगी/करुंगा.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक ....

संलग्नक–V

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृति की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

कार्यग्रहण रिपोर्ट

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री

श्री/श्रीमती... के रोल न0. से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा आयोजित मार्च/अप्रैल 2008 में हुई सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उतीर्ण की है को............के पाठ्यक्रम हेतु .. ..तारीख को इस संस्था में दाखिला प्रदान किया गया है। उसने ....2008 से प्रथम वर्ष की कक्षाए लेनी प्रारम्भ कर दी है।

2. ब्योरे का पूर्ण विवरण (संलग्नक–IV) और आय शपथ पत्र प्रपत्र (संलग्नक–III) संलग्न है।

प्रिंसिपल,
संस्था की मोहर
एस टी डी कोड सहित दूरभाष न0.

सेवा में,

सचिव,

सीनियर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड /

विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार